कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 22( )लेखा/ई.पेंशन/प्रमुवसं/2023–24/ 10750-770 दिनांक : 18.3.24

समस्त मुख्य वन संरक्षक,

विषय :– आईएफएमएस 3.0 के अन्तर्गत जून, 2023 से सेवानिवृत होने वाले कार्मिकों को सेवानिवृत दिवस को ही पेंशन परिलाभों की स्वीकृति उपलब्ध करवाने बाबत्।

संदर्भ :–निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्रांक प.5(328)निपेवि/नियम/ई–मॉड्यूल/2023/3548–एच दिनांक 08.01.2024 एवं पत्रांक 3611–एच दिनांक 05.02.2024 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में लेख है कि वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 01.06.2023 के बिन्दु संख्या 1 (VIII) के अनुसार यदि कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यथा समय सिस्टम पर पेंशन सेट से संबंधित सूचना अद्यतन नहीं की जाती है तो Deemed Approval मानते हुये की कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध डेटा की जांच कर लि गई है और समस्त वेतन संबंधित सूचना और प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवानिवृत्ति तिथि की अवधि पेंशन योग्य मानते हुये ई–पेंशन सेट ऑटो प्रोसेसे द्वारा पेंशन विभाग को पेंशन और ग्रेच्युटी (जहां लागू हो) के लिये अग्रेषित होगा।

संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत करवाया गया है कि कार्यालयाध्यक्षों द्वारा उक्त परिपत्र के अनुरूप कर्मचारी से संबंधित समस्त डाटा को सिस्टम पर अद्यतन नहीं रखने के कारण ऑटो प्रोसेस के माध्यम से निर्धारित हुए कतिपय पेंशन प्रकरणों में निम्नांकित त्रुटियां रही है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. सिस्टम पर गलत Date of Birth अंकित होने के कारण कार्मिक की वास्ततिक सेवानिवृत्ति से पूर्व अधिकृतियां जारी हो गई।
2. गलत Date of Retirement सिस्टम पर अंकित होने के कारण कार्मिक की सेवानिवृत्ति से पूर्व अधिकृतियां जारी होकर राशि उसके बैंक खाते में जमा हो गई।
3. सिस्टम पर कार्मिक की गलत Date of Joining अंकित होने तथा विभागीय जांच बकाया होने के कारण पेंशन व ग्रेच्युटी का अधिक भुगतान हो गया।
4. अधिक पेंशन योग्य सेवा अवधि के कारण पेंशन व ग्रेच्युटी की अधिक राशि कार्मिक के बैंक खाते में हस्तांतरित हो गई।

अतः उपरोक्तानुसार त्रुटियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए इस कार्यालय के यू.ओ.नोट क्रमांक 8463 दिनांक 31.01.2024 मय सूची के नोडल अधिकारी आईएफएमएस 3.0 द्वारा राजस्थान फोरेस्ट ओफीसर्स वॉटसअप ग्रुप पर दिनांक 05.02.2024 को पोस्ट करते हुये संदर्भित पत्र की अनुपालना चाही गई थी, जो आज दिनांक तक अपेक्षित है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता हैं आपके अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्षों से आगामी माहों में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों का डेटा सिस्टम पर अद्यतन कराया जाना सुनिश्चित करावें एवं विगत माहों में आपके एवं अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्षों के ऑटोप्रोसेस से निस्तारित पेंशन प्रकरणों (संलग्न सूची) की जांच कर अधिक भुगतान के लिए उत्तरदायी कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर संलग्न निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 22.03.2024 तक नोडल अधिकारी आईएफएमएस 3.0 को पालना से अवगत करावें, जिससे वित्त विभाग को अवगत करवाया जा सकें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(निधि मेहता)
वित्तीय सलाहकार
वन विभाग राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : एफ 22( )लेखा/ई.पेंशन/प्रमुवसं/2023–24/ 10771-75 दिनांक : 18.3.24

प्रतिलिपिः– निम्न का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक (संस्थापन) मुख्यालय राजस्थान जयपुर।
4. उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (मुख्यालय) एवं नोडल अधिकारी आईएफएमएस 3.0 जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अनुरूप निदेशक, पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रगति से अवगत करावे।
5. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
6156328

Document certified by NIDHI MEHTA <dadowi9984@seosnaps.com>.
Digitally Signed by Nidhi Mehta
Designation : Financial Advisor
Date :18-03-2024 10:13:29

IA

DCF(IT)
19/3/2024